सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 13 चैत्र, 1935 (श०) / 03 अप्रील, 2013 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या–03

(1) ग्रामीण कार्य विभाग	..	..	02
(2) जल संसाधन विभाग	..	..	01
		कुल योग –	03

दोषियों पर कार्रवाई

49. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के संझौली प्रखंडान्तर्गत आरा–सासाराम पथ से अमैठी तक पथ वर्ष 2008–09 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा स्वीकृति के फलस्वरूप निर्माण मद से 30 लाख 82 हजार 786 रु० बिना धरातलीय कार्य कराये 14 अगस्त, 2009 को संबंधित अधिकारियों एवं संवेदक द्वारा निकाल ली गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण नहीं करने का औचित्य

50. डॉ अच्युतानंद—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 05 फरवरी, 2013 के अंके में छपी खबर "पाँच वर्षों में भी नहीं बनी ग्रामीण सड़कें" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण हेतु केन्द्रीय एजेंसियों एन०एच०पी०सी०, एन०बी०सी०सी०, सी०पी०डब्लू०डी० इरकॉन एवं एन०पी०सी०सी० को पाँच वर्ष पूर्व 15564 कि०मी० लम्बी 2865 सड़कों के निर्माण का कार्य दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़कों के रख–रखाव के लिए 130 करोड़ रु० दिया गया था, जिसमें 5 वर्षों में मात्र 54 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया और रख–रखाव के अभाव में निर्मित सड़कें 2 वर्षों में ही खराब हो गयी ;

(3) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय एजेंसियों ने राज्य सरकार को 2283 कि०मी० सड़कों को वापस करने का प्रस्ताव रखा था जिसमें से अभीतक मात्र 1194 कि०मी० सड़कें ही राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित की गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सड़कों के निर्माण एवं मरम्मती नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

सिंचाई की व्यवस्था

51. श्री संजय सिंह टाइगर—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 29 अगस्त, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "पानी नहीं फिर भी नाम है नहर" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सोन नहर प्रणाली अन्तर्गत डिहरी, औरंगाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, पटना एवं गया के नहरों के सिंचाई क्षेत्रों की भूमि नहर रहते हुए भी पानी के अभाव में सिंचाई से वंचित रह जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिलों के नहरों से समुचित सिंचाई व्यवस्था कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 03 अप्रील, 2013 (ई०)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 294—डी०टी०पी०—450